कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः—शिविर / प्रार / आरटीई / बी / ज्ञापन—मांगपत्र / 18879 / जोधपुर मं. / 2020—21 / 52 दिनांक— 26-10-2020

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिला

विषयः—विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों / अभिभावको को फीस संबंधी कारणों से प्रताडित करने की शिकायतों के संबंध में।

प्रंसगः—आपका पत्र क्रमांक एफ19() / बाल आयोग शिक्षा प्रकोष्ठ / 2020—21 / 15326—27 दिनांक 31.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कोविड—19 महामारी के कारण राज्य में विद्यालय संचालित नहीं किए जा रहे है। इस दौरान अधिकांश विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन कक्षाऐं संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विद्यालय प्रारम्भ होने तक अभिभावकों पर फीस का दबाव नहीं बनाने के आदेश जारी किए गए है। इसी क्रम में आयोग को अनेक शिकायते प्राप्त हो रही है, जिनमें निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावको पर फीस जमा कराने का दबाव बनाने, नियम विरूद्व ऑनलाईन कक्षाऐं संचालित करने, फीस संबंधी कारणों से विद्यार्थियों को ऑनलाईन कक्षा में शामिल नही करने तथा टी.सी. काटने की धमकी देने इत्यादि कारण शामिल है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय नही खुलने तक किसी भी विद्यार्थी पर फीस का दबाव नही बनाया जावे तथा फीस से संबंधी कारणों से विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नही रखा जावे।

www.rajteachers.com

26/10/2020

(चन्द्रकिरण पँवार)
उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः—

01. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 31.08.2020 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रस्तुत ।

(चन्द्रकिरण पँवार)
उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर